



26 OCT 2009

प्रेषकः

प्रमाणितः

सी० अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव।

सभी समाहता।

विषय :-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन के संबंध में।

23/अशोकवर्धन
महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 1211/रा०, दिनांक 01.08.08 की ओर अपेक्षका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र में अर्जित भूमि के खतियान में निहित प्रकृति/प्रकार एवं वर्तमान स्वरूप तथा प्रकार के बिन्दू पर विवादों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय, जिसमें अपर समाहता, अनुमंडल पदाधिकारी (संविधित), भूमि रुद्धार उप रामाहता (संविधित), अंचलाधिकारी (संविधित) तथा जिला अवर निबंधन पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे।

इसके साथ-साथ सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि विवादित रथल के जाँच के समय संबंधित भूमि का फोटो एवं विडियो भी अभिलेख में रखा जाय। फोटो/विडियो में समय एवं तिथि अंकित रहे एवं जाँच करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों का भी चित्र रहे, ताकि यह प्रमाणित हो कि वास्तव में रथल जाँच करने पर पाया गया कि पुराने अभिलेखों में अंकित भूमि की परिस्थिति/स्वरूप में रथानीय जाँच में परिवर्तन पाया गया है।

इस आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय।

विश्वारमाजन,

ह०/-

(सी० अशोकवर्धन)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 1002 /रा० दिनांक - 10-10-09

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, विहार, पटना/सभी प्रमाणितीय आयुक्त/परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आवास-श्री सिकन्दर सिंह, शाहीबान हाता, महानन्दा कॉलनी के नजदीक, पूर्णियां/परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई शाखा डी-63, श्री कृष्णपुरी, पटना- 800001/ परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, श्री एस०एन० मिश्रा, आवास वार्ड नं०- 10, दिग्धी बेरट प्रोफेरर कॉलोनी, दरभंगा- 846004/ परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, महेन्द्र भवन, द्वितीय तल, भगवानपुर चौक (एन०एच०-28) सदर पुलिस स्टेशन के पीछे, मुजफ्फरपुर-842001/ सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10
प्रधान सचिव।